न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

दिनांक	फर्द अहकाम	
22.3.18	ग्राम सलावद में स्थित है उपरोक्त अराजीयात को सायल व गैरसायलान शुरू से ही शामिल रूप से काश्त करते चले आ रहे है। ~~किन्तु~~ गैरसायलान सं. 1 लगा. 3 ने चालाकी से साजिश के तहत गैरसायल सं. 3 के नाम फर्जी तरीके से मृतक मन्नूया की अराजीयात की वसीयत चुपचुप तरीके से करवा ली गई जिसकी आड़ में गैरसायलान मृतक मन्नूया की अराजी को हड़पने के फिराक में है जबकि कानून सायल व गैर-सायलान मृतक मन्नूया के समान रूप से वारिस है। उनकी चल अचल सम्पत्ति पर समान रूप से काबिज है। गैरसायल सं. 3 के नाम (नामो के) मन्नूया ने अपने जीवनकाल में ही समस्त अराजी की वसीयत कर दी थी जिसके आधार पर गैरसायलान ने कहा कि हम जबरदस्ती मन्नूया की समस्त अराजीयात पर कब्जा कर लेगे। इसलिए सायल को मजबूरन न्यायालय की शरण मे आना पड़ा। अतः गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस अमृ से पाबन्द फरमाया जावे कि अराजी हाल खसरा नं. 592/0.30 हे., 877/0.14 हे., 877/1783/0.14 हे., 139/1.20 हे. वाकेतन ग्राम सलावद में	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

दिनांक	फर्द अहकाम
	स्थित है मे सायल का हिस्सा 1/2 है। सायल के हिस्से कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार की मदाखलत, मुजाहमत न तो स्वयं पैदा करे और न ही अन्य से करावे। एवं रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।
	प्रा० पत्र पर वकील सायल की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर एवं प्रा० पत्र मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने पर प्राइमाफेसी केस एवं सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः सायल विरुद्ध गैरसायलान प्रा० पत्र धारा 212 स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे सायल के हिस्से 1/2 अराजी ख०नं० 592, 877, 877/1793, 1391 वाका ग्राम सलावद मे से सायल का हिस्सा कब्जेकाश्त मे किसी प्रकार की दखलान्दाजी नही करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली मिसल शुमार मानी जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
	महेन्द्र सिंह [illegible] उपखण्ड अधिकारी